



असाधारण आम बैठक की सूचना

शुक्रवार, 21 अक्टूबर, 2011

प्रातः 10.30 बजे

NOTICE FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Friday, October 21, 2011

10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय :

स्टार हाउस,
सी-5, 'जी' ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन : 022-66684444

वेबसाइट : www.bankofindia.co.in

Head Office:

Star House,
C-5, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051.
Tel. : 022-66684444

Website: www.bankofindia.co.in



विषय सूची		CONTENTS	
	पृष्ठ सं		Page No.
सूचना	3	NOTICE	4
व्याख्यात्मक विवरण	5	EXPLANATORY STATEMENT	6
घोषणा फॉर्म	13	DECLARATION	14
नामांकन फॉर्म	15	NOMINATION FORM	16
घोषणा व वचन पत्र	17	DECLARATION AND UNDERTAKING	18
उपस्थित पर्ची व प्रवेश पास	21	ATTENDANCE SLIP AND ENTRY PASS	22
परोक्षी फॉर्म	23	PROXY FORM	24
संबंधित अधिनियमों, योजना और विनियमों के उद्धरण	25	EXTRACT OF RELEVANT ACTS AND REGULATIONS	26
मीटिंग के स्थान पर पहुंचने का मानचित्र	35	GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE	35

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का अभिनिश्चयन करने की अंतिम (रिकार्ड) तारीख Cut-off (Record) Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2011 Friday, 09 th September, 2011
नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख Last Date for submission of Nomination Forms	बुधवार, 05 अक्टूबर, 2011 Wednesday, 05 th October, 2011
नामांकनों की जांच Scrutiny of Nominations	शुक्रवार, 07 अक्टूबर, 2011 Friday, 07 th October, 2011
परोक्षी प्रपत्रों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date of Receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorised representatives	शनिवार, 15 अक्टूबर, 2011 Saturday, 15 th October, 2011
असाधारण आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Extraordinary General Meeting	शुक्रवार, 21 अक्टूबर, 2011 10.30 बजे Friday, 21 st October, 2011 at 10.30 a.m.
असाधारण आम बैठक का स्थान Extraordinary General Meeting Venue	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. BANK OF INDIA Auditorium, Head Office, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

सूचना

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँडके) विनियम 2007 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **शुक्रवार, 21 अक्टूबर, 2011** को प्रातः 10.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया के ऑडिटोरियम, सी-5, 'जी' ब्लाक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3) (i) तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (इसके बाद इसको विनियम अधिनियम कहा जाएगा) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके बाद इसे "योजना" के रूप में संदर्भित किया है) और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँडके) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे "विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और अधिसूचना सं.डीबीओडी सं.बीसी सं.46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (इसके बाद इसे "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना" संदर्भित किया गया है) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, तीन निदेशकों के चयन हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए।

"संकल्प" पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i), जिसे संबंधित योजना के साथ पढ़ा जाता है, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से चुने गए तीन निदेशकों को **25 अक्टूबर, 2011** को निदेशकों के रूप में पदग्रहण करने और ऐसा पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदधारण करने के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

र. के. मिश्रा

(आलोक मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23/08/2011

टिप्पणी:

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वोट देने का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के अपने पास रखे हुए बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्ष, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जिसे अंतिम (रिकार्ड) तारीख को जो कि **शुक्रवार 09 सितंबर, 2011** है, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह हाथ दिखाने पर एक वोट दे सकेगा और मतदान के मामले में उसका प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से होता है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नाम के व्यक्ति को उसका एक मात्र धारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारक के नाम से हैं तो पहले नाम वाला व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने का हकदार होगा और वही बैठक में वोट (मतदान द्वारा या हाथ दिखाकर) देने का हकदार होगा।

3. अंतिम (रिकार्ड) तारीख

विनियमों के विनियम 12 के अनुसरण में, जैसा कि सूचना की मद सं.1 में उल्लेख किया गया है, चुनाव में सहभागी होने के लिए अर्थात नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए और बैंक के शेयर होल्डरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन निदेशकों के चुनाव के लिए वोट देने के हकदार शेयरधारकों के नाम का निर्णय लेने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 09 सितंबर, 2011** अंतिम (रिकार्ड) तारीख हैं।

4. परोक्षी की नियुक्ति

शेयरधारक बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के भी हकदार हैं और इस तरह के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस तरह नियुक्त किए गए परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

किसी ऐसे व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी या कर्मचारी है।

विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र के प्रदाता, जिससे कि प्रपत्र संबंधित है, बैठक में स्वयं वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

परोक्षी फार्म प्रभावी होने के उद्देश्य से यह बैंक के प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 को बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात **शनिवार, 15 अक्टूबर, 2011** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात 1.30 बजे से पूर्व या तक प्राप्त हो जाना चाहिए।



BANK OF INDIA

Head Office: Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of BANK OF INDIA will be held on **Friday, the 21st October 2011** at 10.30 A.M. at the Bank of India Auditorium, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 400 051 to transact the following business:

To elect **THREE** directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from **25th October 2011** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors
for BANK OF INDIA

(ALOK K MISRA)

Chairman and Managing Director

Place: Mumbai

Date: 23.08.2011

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on **the cut off date (Record Date) i.e., Friday the 09th September 2011**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

3. CUT OFF (RECORD) DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations **Friday the 09th September 2011 is the Cut Off (Record) Date** for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of **THREE** directors representing the shareholders of the Bank as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Bank of India.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051 not later than **FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. **on or before the closing hours i.e. 1.30 p.m. on Saturday, the 15th October, 2011.**

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति अतिरिक्त असाधारण आम बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें यह पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित कर नहीं दी गई हो और वह बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाऊस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शनिवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011** को या कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 1.30 से पूर्व या तक जमा की जानी चाहिए।

6. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक सह प्रवेश-पत्र - बैलट पेपर पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें। उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। परोक्षी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पत्रक-सह प्रवेश पास पर “परोक्षी” या प्राधिकृत “प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

चुनाव के समय, बैलट पेपर प्राप्त करने के लिए, बैलट पेपर पास का हिस्सा सौंपना होगा।

व्याख्यात्मक विवरण

तीन शेयरधारक - निदेशकों का चुनाव

• निदेशकों के चुनाव के लिए शेयरधारकों का अधिकार

भारत-सरकार के अतिरिक्त, बैंक की 34.14% शेयर पूंजी के शेयरधारक स्वामी हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक को बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का अधिकार है (केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त)। वर्तमान तीन निदेशक अर्थात् 1. श्री एम. एन. गोपीनाथ 2. श्री पी. पी. माल्या और 3. श्री पी. एम. सिराजुद्दीन दिनांक 24.10.2011 तक निदेशक पद पर बने रहेंगे।

तदनुसार यह असाधारण आम बैठक, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव हेतु आवश्यक संकल्प पारित करने के लिए, बुलाई गई है।

शेयरधारक (केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त) विभिन्न संबद्ध विनियम अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विभिन्न प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके संबंधित अंश यहां सूचित किए गए हैं। चुने गये निदेशक दिनांक **25.10.2011** को पद ग्रहण करेंगे और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

• विधिक प्रावधान

इस मामले को शासित करने वाले विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों को निम्नलिखित टेबल में सूचित किया गया है :

क्रमांक	अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान
क.	बैंककारी विनियम अधिनियम 1949	धारा 20
ख.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i), धारा 9(3ए) (ए) से (सी), धारा 9(3एए), धारा 9 (3एबी), धारा 9(3बी)
ग.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4), खण्ड 10, खण्ड 11, खण्ड 11ए, खण्ड 11बी, खण्ड 12(8)
घ.	बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम 2007	विनियम 10, 61 से 70
ड.	अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी.सं.46 व 47 / 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और भारतीय रिज़र्व बैंक की सं. डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970 के अनुसार में धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी)

उपर्युक्त प्रावधानों के उद्धरण का यहां नीचे वर्णन किया गया है:

क. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 में अपने किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से किसी अन्य को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए प्रतिबंध लगाये गए हैं।

ख. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारक के वोट देने के अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल वोट देने के अधिकार को एक प्रतिशत तक सीमित करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) इन बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों की संख्या निर्धारित करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि धारा 9(3) (i) के अंतर्गत नामित किए जाने वाले निदेशकों के लिए कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान होने की कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3एए) और (3एबी) यह विनिर्धारित करती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, यदि पिछले रिकार्ड पर आधारित फिट और उचित स्थिति, सत्यनिष्ठ न हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

5. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extra Ordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., **on or before the closing hours i.e. 1.30 p.m. of Saturday, the 15th October, 2011.**

6. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM- BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF THREE SHAREHOLDERS-DIRECTORS

• RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold **34.14%** of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Act, Bank of India is entitled to have a maximum of three directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). The present three Shareholders-Directors viz., 1. Shri M.N.Gopinath 2. Shri P.P.Mallya, and 3. Shri P. M. Sirajuddin, hold office till 24.10.2011.

Accordingly an Extraordinary General Meeting of the Bank has been convened to elect three directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected directors will assume office on **25.10.2011** and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

• LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme /Regulations/Notification governing the matter:

Sr.	ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION	PROVISIONS
A	Banking Regulation Act, 1949	Section 20
B	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA),Section 9(3AB), Section 9 (3B)
C	Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4) ,Clause 10 ,Clause 11 ,Clause 11A ,Clause 11B, Clause 12 (8)
D	Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 2007	Regulation 10, 61 to 70
E	Notification No. DBOD. No. BC.No.46 & 47 / 29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 rd May, 2011 of Reserve Bank of India.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

The gist of the above mentioned provisions is described hereinbelow:

- A. Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.
- B. Section 3 (2E) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to one percent of the total voting rights of all the shareholders.

Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes the number of directors to be elected by the shareholders in such banks.

Section 9 (3A) (A) to (C) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes certain qualifications specifying that the directors to be nominated under Section 9 (3) (i) shall have special knowledge in certain fields.

Section 9 (3AA) and (3AB) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon

अपनी अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं.46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 और सं.डीबीओडी.बीसी सं. 95/29/29-39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 में यथा निर्धारित अन्य मानदण्ड पूरे न करता हो।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3बी) में, उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले यथा निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार है।

ग. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार किसी निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 में निदेशकों की अयोग्यता के कुछ कारण निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 11 निदेशकों द्वारा पद छोड़ने से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 11 ए का संबंध, उस परिस्थिति से है जब उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत किसी निर्वाचित निदेशक को हटाकर और उस रिक्त स्थान को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित किया जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 11बी आकस्मिक रिक्ति से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड, 12(8) निदेशकों द्वारा, जिन व्यवस्थाओं में उनका हित है, उनमें अपने हितों की घोषणा से संबंधित है।

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 का विनियम 10, शेयरों के संयुक्त स्वामित्व के मामलों में मतदान के अधिकारों का निर्धारण करता है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 के विनियम 61 से 70 में किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में उम्मीदवार बनाकर नामांकित करने, मतदान आयोजित करने की प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक मामलों से निपटने के बारे में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

ड. वेबसाइट में अधिनियमों/योजना/विनियमों/अधिसूचना के उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसमें इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसमें इसके बाद इसे “योजना” कहा गया है) और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 (इसमें इसके बाद इसे “विनियम” कहा गया है) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.बीसी. क्र.46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 और डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के संगत उद्धरण को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in में डाले गए हैं। ऐसे उद्धरण को अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों को, बैंक के कंपनी सचिव को प्रस्तुत अनुरोध, बैंक के स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 स्थित प्रधान कार्यालय में, नामांकन प्रपत्र प्रस्तुति की अंतिम तारीख अर्थात् 5.10.2011 को या उससे पहले, प्राप्त होने पर, ई-मेल द्वारा भी भेजा जाएगा।

• उम्मीदवार के लिए अर्हताएं

उम्मीदवार, अधिनियम की धारा 9(3ए) में उल्लिखित अर्हताओं को पूरा करेगा और उसमें योजना के खंड 10 में उल्लिखित अयोग्यताएं नहीं होंगी और बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, को पूरा करेगा:

(क) अधिनियम की धारा 9(3ए) के निबंधनों के अनुसार वह उम्मीदवार, जो शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे

(ए) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो, या

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या

(सी) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(ख) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के अनुसार एक उम्मीदवार जो शेयरधारक होने के नाते बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे ‘फिट और उचित स्थिति’ में होना चाहिए।

(ग) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को वचन विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India notified vide its Notification No.DBOD. BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

Section 9 (3B) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfil the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.

- C. Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 says that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 specifies certain disqualifications for directors.

Clause 11 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with vacation of office by directors.

Clause 11 A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with the situation where a director elected under Sec. 9 (3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.

Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with casual vacancy.

Clause 12 (8) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

- D. Regulation 10 of Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.

Regulations 61 to 70 of Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a director, the procedure for conducting an election and deal with other incidental matters.

E. EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATION IN WEBSITE

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (hereinafter referred to as “the Act”) the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as “the Regulations”) as well as RBI Notification No.DBOD.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank’s website www.bankofindia.co.in . Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, at the Bank’s Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **05.10.2011**.

• QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, and detailed herein.

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in one or more of the following matters namely:

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank, or

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess ‘Fit and Proper status’.

- (c) Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

• **बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं**

- (ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित तरह का व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने हेतु अयोग्य है :
- क) यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या उनसे धन आदि के बदले अपराधिक रूप से छुटकारा पाया हो, या
- ख) यदि अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने उसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो, या
- ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी क्रिमिनल न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में न्याय का पद धारित करता हो, किन्तु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

और

- (बी) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 की शर्तों के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा फिट तथा उचित नहीं पाया गया हो।

• **चुनाव में भाग लेने वालों को शेयरधारकों की सूची**

दि. 09.09.2011 तक की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की सूची 28.09.2011 को और से, “बैंक ऑफ़ इंडिया” के पक्ष में मुंबई पर देय ₹60,000/- के मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने और कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाऊस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 को संबोधित लिखित अनुरोध पर उपलब्ध होगी। अनुरोध करने वाले उम्मीदवार शेयरधारकों के रजिस्टर की जांच कर सकते हैं और उसमें से उद्धरण अपने खर्च पर ले सकते हैं।

• **शेयरधारकों के रजिस्टर की जांच**

शेयरधारक का रजिस्टर, मुंबई में, बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में सभी कार्य दिवसों पर, सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2.00 से शाम 4.00 बजे तक (और शनिवार को सुबह 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक) जांच के लिए खुला रखा जाएगा ताकि चुनाव लड़ने वाले सदस्य ₹ 5/- प्रति 1000 शब्द, या उसके भाग के लिए, के दर पर परिकलित पूर्व भुगतान पर, रजिस्टर के किसी भाग अथवा संबंधित भाग की कंप्यूटर प्रिंट के लिए बैंक को अनुरोध कर सकें।

• **चुनाव में सहभागिता**

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम 09 सितम्बर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार एनएसडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा यथा प्रेषित सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में लिखे हैं सहभागिता करने के लिए हकदार है अर्थात् केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए हकदार है।

• **नामांकन**

i) नामांकनों की वैधता :

- बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2007 के विनियम 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना -डीबीओडी संख्या बीसी. संख्या 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते कि :
- (क) वह बैंक ऑफ़ इंडिया के 09.09.2011 तक की स्थिति के अनुसार कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक है और 21.10.2011 तक और उसके पश्चात यदि वह चुना जाता है तो न्यूनतम 100 शेयर सतत् रूप से रखता है।
- (ख) नामांकन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख तक यानि 5.10.2011 की स्थिति के अनुसार, वह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य (डिस-क्वालीफाइड) नहीं कर दिया जाता/जाती है।
- (ग) नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ (100) शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत संघटित अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षर किये हैं बशर्ते कि कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने की स्थिति में जिस बैठक में इस तरह का संकल्प पारित किया जाए उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि महाप्रबंधक-शेयर, बैंक ऑफ़ इंडिया, 8वीं मंजिल, शेयर विभाग, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई- 400 051 को संबोधित करते हुए बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। अतएव इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- (घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन इस नोटिस में भेजे गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार उम्मीदवार द्वारा की गयी घोषणा के साथ होना चाहिए। उम्मीदवार की यह घोषणा किसी जज, मजिस्ट्रेट, एशोरोस के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत् हस्ताक्षरित होनी चाहिए और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो बैंकिंग विनियम अधिनियम अथवा अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम के अन्तर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (ड.) नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म विनियम द्वारा निर्धारित/विहित है और अनुलग्नक में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है) ई-मेल आईडी Headoffice.share@bankofindia.co.in है।

(ii) नामांकन फार्मों को जमा करना

निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक जो ऊपर बतायी गयी शर्तों के अनुसार योग्य है कृपया निम्नलिखित कागजात जमा कराएं :

- क) विधिवत रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र

- Disqualifications from being elected as a Director of the Bank :
 - (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank

and

- (B) In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23rd May, 2011, if he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank.
- LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on **09.09.2011** will be available for sale on and from **28.09.2011**, on payment of Rs.60,000/- by means of a demand draft in favour of "BANK OF INDIA" payable at Mumbai, along with a request addressed to the Company Secretary, at the Bank's Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051. The intending candidates may also inspect the Register of Shareholders and take extracts there from.

- INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders, at the Investor Relations Department of the Bank at Mumbai, on all working days between 2.00 p.m. and 4.00 p.m. on Mondays to Fridays (and on Saturdays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m.) for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

- Participation in Election

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/STA as on **09th September, 2011**, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

- NOMINATIONS:

i) Validity of nominations

In terms of Regulation 65 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, and in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on **09.09.2011**, a minimum of 100 (one hundred) shares in Bank of India and continues to hold a minimum of 100 shares till **21.10.2011** and thereafter if he is elected.
- (b) as on 5.10.2011 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least **one hundred (100) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme, or the Regulations.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website: www.bankofindia.co.in). The e-mail id is Headoffice.share@bankofindia.co.in.

ii) **Submission of Nomination Forms**

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit

- a) Duly filled in Declaration Form;

ख) चुनाव में सहभागिता करने के लिए हकदार न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन

ग) सम्बद्ध दस्तावेजों शंसापत्रों जैसे बायो डाटा, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभवों के प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत सूचना, घोषणापत्र वचनबद्ध उसी प्रारूप में जो फार्म में दिया गया है। यह सब कुछ सील किए हुए लिफाफे में कम्पनी सचिव को एक **मुहर बंद लिफाफे** में बैंक के प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051 में, सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ, सभी प्रकार से पूर्ण करके बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले किसी कार्य दिवस को अर्थात् **5 अक्टूबर, 2011 को अपराह्न 4.30 बजे तक** या उससे पहले सुपुर्द कर देना चाहिए।

iii) उम्मीदवारी की वापसी

यदि कोई उम्मीदवार, अपना नामांकन वापस लेना चाहता हो तो वह **गुरुवार, 20 अक्टूबर, 2011** को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले किसी भी समय अपना नाम वापस ले सकेगा।

iv) निदेशकों के नामांकनों एवं चुनावों की समीक्षा

(क) नामांकनों की बैंक द्वारा, नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्य दिवस को, अर्थात् **शुक्रवार, 07.10.2011** को जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे उसके वैध न पाए जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार सभी नामांकन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के अध्यक्षीन होंगे

(ग) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली तीन रिक्तियों के लिए केवल तीन वैध नामांकन हैं, तो यथा नामित उम्मीदवार उसी समय से चयनित माने जाएंगे और उनके नाम इस प्रकार चयनित के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थितियों में असाधारण आम बैठक निरस्त हो जाएगी। किंतु वे 25.10.2011 को पदभार ग्रहण करेंगे।

(घ) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन तीन से अधिक हैं तो चुनाव में अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार चुने हुए माने जाएंगे और उनके नाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे। वे दिनांक 25.10.2011 को पदभार संभालेंगे।

(ङ) इस बारे में विवाद, यदि कोई हो, तो विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटार दिए जाएंगे।

• दिनांक 21.10.2011 को चुनाव प्रक्रिया

- निदेशकों के चुनाव के लिए वोटिंग शो ऑफ़ हैड्स आधार पर नहीं होगा किंतु चुनाव सिक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा किया जाएगा।
- बैलेट पेपर का निर्गमन बैठक में इस बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के तुरन्त बाद प्रारम्भ किया जाएगा व अपराह्न 1 बजे तक चालू रहेगा।
- जो शेयरहोल्डर्स/प्रोक्सीहोल्डर्स/पहचान प्रयोजन के लिए पंजीकरण के समय जारी किए गए बैलेट पेपर पास के अभ्यर्पण पर प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलेट पेपर काउन्टर पर जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या 9.09.2011 को उनके द्वारा रखे गए शेयरों को संख्या के बराबर होगी।
- शेयरधारक बैलेट पेपर प्राप्त कर सकेंगे और बैलेट पेपर में अपनी पसंद के तीन उम्मीदवारों के नाम के सामने (X) का निशान लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और उसे बैलेट बॉक्स में डालेंगे।
- वोटों की गणना के पश्चात् बैठक में अध्यक्ष द्वारा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।
- यह सारा कार्यक्रम बैंक द्वारा मनोनीत चुनाव अध्यक्ष, बैंक के नियुक्त किए गए सलाहकार के द्वारा केंद्रीय सरकार के नामित अधिकारी के निगरानी में होगा।

• निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक, यदि चुनाव लड़ते हैं तो कारोबार की ऊपर बताई गई मद में सम्बंधित या हितबद्ध माने जायेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

ए. के. मिश्रा

(आलोक मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23.08.2011

- b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience.

In the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Company Secretary, at the Bank's Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before **Wednesday the 5th October, 2011 by 4.30 p.m.**

iii) **Withdrawal of Candidature**

If any candidate desires to withdraw his nomination he would be authorised to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Thursday 20th October, 2011.

iv) **Scrutiny OF NOMINATIONS and election of Directors**

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on Friday, 07.10.2011, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification.
- (c) If there are only three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extra Ordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidates shall assume office only on 25.10.2011.
- (d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers. They will assume office on 25.10.2011.
- (e) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

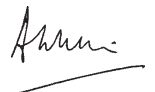
• **POLL PROCESS ON 21.10.2011**

- The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.
- The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1.00 p.m.
- Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxyholders / authorised representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 09.09.2011.
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).
- The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be announced by the Chairman
- The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

• **INTEREST OF DIRECTORS**

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the above mentioned item of business in case they contest the election.

By order of the Board of Directors
for BANK OF INDIA



(ALOK K MISRA)

Chairman and Managing Director

Place : Mumbai.

Date : 23.08.2011

घोषणा
(उम्मीदवार द्वारा)
(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ ले)

मैं, श्री/श्रीमती _____
श्री _____ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी _____
एतद्वारा इस बात की पुष्टि करता/ती हूँ कि :-

- क) मैं चुनाव में सहभागिता के लिए अंतिम (रिकार्ड) तारीख 09.09.2011 को बैंक के रु 10 /- प्रति शेयर के _____ इक्विटी शेयरों का धारक हूँ, और
- ख) * मुझे i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ii) बैंकिंग iii) सहकार iv) अर्थशास्त्र v) वित्त vi) विधि vii) लघु उद्योग अथवा _____ (किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव है और मैं संबंधित अधिनियम की धारा (9) उपधारा 3(i) के अनुसार जमाकर्ताओं और/या किसानों, कामगारों तथा कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करूंगा और उसके प्रमाण स्वरूप में इसके साथ संबंधित शंसापत्र प्रस्तुत करता/ती हूँ और ।
- ग) मैं, _____ क्रमांक का नामांकन स्वीकार करता हूँ/करती हूँ, और
- घ) मैं बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ/की इच्छुक हूँ और
- ङ) मैं, अधिनियम, योजना विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक की द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ, और
- च) मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अंतर्गत उपधारा (1) धारा 3 के अनुसार गठित है, अथवा किसी सहायक बैंक जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित है, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, और
- छ) मैं अपने वैयक्तिक व्योरे संलग्न करता हूँ जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है तथा
- ज) मैं वचन देता हूँ कि इस घोषणा के उपरांत इसमें दी गई जानकारी के संबंध में कोई घटना हो जाती है तो मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को इसकी पूरी जानकारी प्रदान करूंगा और बैंक के निदेशक के रूप में चयन पर प्रसंविधा विलेख निष्पादित करूंगा ।

नाम	
शेयरधारक का हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
रजिस्टर फोलिओ क्र./ डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र.	
स्थान :	
दिनांक :	

उक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुप्रमाणक अधिकारी का नाम

नोट : नामिती द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेन्स रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने किए जाने चाहिए।

* जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं

DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of
Shri _____, residing at _____
_____ hereby confirm that

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **09.09.2011, the Cut Off (Record Date)** for participating in the Elections and
- b) I have special knowledge or practical experience in* i) Agriculture and Rural Economy ii) Banking, iii) Co-operation, iv) Economics, v) Finance, vi) Law, vii) Small Scale Industry or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of subsection 3A of Section 9 of the Act and as evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and .
- c) I accept the nominations numbering _____, and
- d) I am willing to contest for the election as Director of Bank of India and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
- g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and

Name of the attesting official

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.

नामांकन फार्म
(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ ले)

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस,
बांद्रा-कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

क्रम संख्या

आपकी सूचना दिनांक 23.08.2011 के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती _____
निवासी _____,

बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयरधारक, **शुक्रवार, 09 सितंबर, 2011** को यथा (चुनाव में सहभागिता के लिए निर्दिष्ट तिथि) को _____
इक्विटी शेयर धारण करनेवाला/ली **शुक्रवार, 21 अक्टूबर, 2011** को आयोजित बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एतद्वारा श्री/
श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी

_____ निवासी _____
_____ को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,
1970 की धारा 9(3) (1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए **नामित**
करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या रजिस्टर फोलिओ क्र./ डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र.	
स्थान :	
दिनांक :	

टिप्पणियाँ :

- यदि नामांकन किसी शेयरधारक निगमित निकाय द्वारा किया गया है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ संबंधित निदेशक बोर्ड की बैठक के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर का बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध, उनके हस्ताक्षरों के साथ मिलान होना जरूरी है अन्यथा उस शेयरधारक द्वारा किया गया नामांकन खारिज किया जाएगा।

NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To
The Chairman & Managing Director
BANK OF INDIA
Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai, 400051

Sl.No.

Dear Sir,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 23.08.2011, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Bank of India, holding _____ equity shares **on Friday, 09.09.2011** (being the Cut-off (Record) Date considered for participating in the Election) do hereby nominate Shri/Smt. _____ son / daughter / wife of Shri _____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on 21st October, 2011.

Name	
Signature	
Number of Shares Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a shareholder who is a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचनबंध

बैंक का नाम : बैंक ऑफ इंडिया

कृपया पासपोर्ट
के नाप की
फोटो लगाएं

प्रत्याशी द्वारा अनुलग्नकों सहित घोषणा एवं वचन यथा _____ 2011	
I.	प्रत्याशी की व्यक्तिगत जानकारी
क.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा)
ख.	जन्म तिथि
ग.	शैक्षणिक अर्हता अर्हता (शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें). अर्हता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें).
घ.	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंककारी कंपनी, (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3-क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित) (कृपया बैंक निदेशकता के संबंधित आपके अनुभव का उल्लेख करें।) बैंक निदेशकता से संबंधित अन्य जानकारी।
ड.	स्थायी पता
च.	वर्तमान पता
छ.	ई मेल आईडी टेलीफोन नं. (लैंडलाइन) टेलीफोन नं. (मोबाइल)
ज.	(1) स्थायी खाता संख्या (आयकर अधिनियम के अंतर्गत) (कृपया प्रति संलग्न करें) (2) आयकर सर्किल/प्रभाग का नाम एवं पता जहां आयकर विवरण दायर किया जाता है।
झ.	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें) बैंक निदेशकता से संबंधित अन्य जानकारी।
II.	प्रत्याशी से संबंधित रिश्ता
क.	प्रत्याशी के रिश्तेदारों की सूची जो बैंक से किसी भी प्रकार से संबद्ध हैं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए का संदर्भ लें).
ख.	संस्थाओं की सूची जिसमें प्रत्याशी का हित होने की संभावना है, यदि है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3)(ए) और धारा 300 का संदर्भ लें)
ग.	संस्थाओं की सूची जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) के अनुसार उनका/उसका पर्याप्त हित रहने की संभावना है प्रस्तावित और विद्यमान।
घ.	उस बैंक का नाम दीजिए जिसमें वह बोर्ड के सदस्य है/थे (ऐसी पदधारिता की अवधि के विवरण दें)
ड.	उसके/उनके द्वारा और/अथवा उपर्युक्त 2(क) और (ख) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में बैंक से उपलब्ध की गई निधि और गैर निधि सुविधाएं, यदि है।
च.	ऐसे मामले जहाँ निदेशक अथवा उपर्युक्त II (क) और (ख) में सूचीबद्ध संस्था बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में व्यतिक्रमी है अथवा पहले व्यतिक्रमी रहे हैं, यदि कोई है।
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड
क.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of Bank: **Bank of India**

Affix
Passport
Size
Photo
here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2011	
I.	Personal details of the candidate
a.	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)
b.	Date of Birth
c.	Educational Qualification (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
d.	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). Any other information relevant to Directorship of the Bank.
e.	Permanent Address
f.	Present Address
g.	E-Mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)
h.	(1) Permanent Account Number of the Income Tax Act (Please enclose a copy). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank
II	Relevant Relationships of Candidate
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)
b.	List of entities if any in which he / she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing
d.	Name of Bank in which he / she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.
III	Records of professional achievements
a.	Professional achievements relevant

IV.	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई है।	
क.	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है, तो उसके/उनके विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई, लंबित/शुरू की गई है अथवा विगत में उसके/उनके विरुद्ध दोषसिद्धि में परिवर्तित हुई है अथवा क्या उसे/उन्हें किसी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने हेतु पाबंदी लगाई हो।	
ख.	अभियोजन के ब्योरे, यदि कोई है, उम्मीदवार के विरुद्ध और/अथवा उपर्युक्त II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी संस्था के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियम भंग करने हेतु लंबित/शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि में परिणत हुए हैं।	
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा अतीत में उनके विरुद्ध दोषसिद्धि में परिणत हुए अपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि है।	
घ.	क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया है?	
ङ.	क्या उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त II(ख) और (ग) की संस्थाएं सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के अनुरोध पर अन्वेषण के अध्वधीन है।	
च.	क्या उम्मीदवार किसी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों के नियमों/विनियमों, वैधानिक आवश्यकताओं को भंग करने हेतु दोषी पाया गया है, यदि है, तो उसके विवरण दें।	
छ.	क्या उम्मीदवार को सेबी, आयआरडीए, डीसीए, आरबीआई, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि जैसे विनियामकों द्वारा कभी प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुई है? (यद्यपि, प्रत्याशी के लिए विनियामकों द्वारा दिए गए आदेश और निष्कर्ष के बारे में कालम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में संपूर्णतः रिवर्स/रद्द किए जाते हैं। यदि रिवर्सल/रद्द किया जाना गुणों के आधार पर न होकर परिसीमा अथवा अधिकार क्षेत्र का अभाव जैसे तकनीकी कारणों से किया गया है तो उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि विनियामक के आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है और अपीलीय/न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए)।	
V.	मद I से III से संबद्ध कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी और 'फिट और प्रापर' स्थिति का निर्णय करने हेतु संबंधित अन्य जानकारी।	

वचनबन्ध

मैं, का पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता हूँ कि, मेरी नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त दी गई जानकारी के संबंध में कोई घटना हो जाती है तो मैं यथासंभव शीघ्रता से बैंक को इसकी पूरी जानकारी प्रदान करूँगा।

स्थान:

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक :

- नोट: 1. जहां भी लिखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है उसके लिए कालानुक्रमिक और उचित संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में जोड़ें।
2. सभी पत्रे (अनुलग्नकों के साथ) प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।

नामांकन समिति का अवलोकन:

--

1. नामांकन समिति के सदस्य का हस्ताक्षर

2. नामांकन समिति के सदस्य का हस्ताक्षर

3. नामांकन समिति के सदस्य का हस्ताक्षर

नाम:

नाम:

नाम:

तिथि :

स्थान:

IV	Proceedings, if any, against the candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc, (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I, _____ Son / Daughter / wife of
 Shri _____ confirm that the above
 information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events
 which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

Signature of Nomination Committee Member
 Name :

Signature of Nomination Committee Member
 Name :

Signature of Nomination Committee Member
 Name :

Date :

Place :

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी
बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास-सह मतदान पेपर पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक: 21 अक्टूबर 2011, शुक्रवार, प्रातः 10.30 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश करते समय सरंडर की जानी है)

स्पष्ट अक्षरों में नाम(सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो सं /डीपीआईडी संख्या/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

प्रवेश-पास

(बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

असाधारण आम बैठक, दिनांक: शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011, प्रातः 10.30 बजे

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो सं /डीपीआईडी संख्या/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____

शेयरधारकों/शेयरधारकों के परोक्षी/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित यह उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पेपर साथ लेकर आएँ। शेयरधारकों/शेयरधारकों के परोक्षी/प्रतिनिधियों को प्रवेश पास-मतपत्र पेपर पास का हिस्सा वापस कर दिया जाएगा, जिसे बैठक समाप्त होने तक वे अपने पास रखेंगे। मतपत्र लेने के लिए मतपत्र पेपर पास का हिस्सा जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची सह-प्रवेश पास-सह मतपत्र पेपर पास की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी।

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

मतपत्र पेपर-पास

(मतपत्र लेने के लिए मतदान काउन्टर पर सौंपा जाए)

असाधारण आम बैठक, दिनांक: शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011, प्रातः 10.30 बजे

स्पष्ट अक्षरों में नाम(सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो सं /डीपीआईडी संख्या/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या/ वोट

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____



BANK OF INDIA

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date : Friday, the 21st October 2011, 10.30 a.m.

At the Bank of India's Auditorium, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 400 051

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO /DPID No/ CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

BANK OF INDIA

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Date : Friday, the 21st October 2011, 10.30 a.m.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO /DPID No/ CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass-Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued.

BANK OF INDIA

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Date : Friday, the 21st October 2011, 10.30 a.m.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO NO /DPID No/ CLIENT ID NO.	No. of Shares/Votes

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present _____

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियों सं : _____
डीपी आईडी / ग्राहक आई डी नं. _____
शेयरों की संख्या _____

मैं/हम _____
निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक, एतद्वारा श्री/श्रीमती
_____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को या वह न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी
_____ जिला _____ राज्य _____

को मेरे/हमारे लिए मेरी/हमारी ओर से स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 के ऑडिटोरियम में **शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011, प्रातः 10.30 बजे** आयोजित बैंक शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

_____ तिथि _____ 2011 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

प्रथम शेयरधारक /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

रसीदी
टिकट

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- परोक्षी की कोई लिखत तभी वैध मानी जाएगी जब कि वह,
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 - निगमित निकाय के मामले में, उनके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और यदि हो तो कॉमन सील के अंतर्गत निष्पादित अथवा अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, और
 - यह फार्म बी में हो तथा उचित स्टाम्पयुक्त हो।
- परोक्षी लिखत जिसमें शेयरधारक के अंगूठे का निशान लगा हो, उसे तभी वैध माना जाएगा जब यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्स या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत (अटेस्टेड) किया गया हो।
- परोक्षी के साथ
 - पावर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है या
 - उस पावर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक के चार दिन पूर्व यथा **शनिवार 15 अक्टूबर, 2011 को कार्यालय समय की समाप्ति पर बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रधान कार्यालय में दोपहर 1.30 बजे** से पहले या तक जमा कर दिया जाना चाहिए।
- यदि संबंधित पावर ऑफ़ अटर्नी बैंक ऑफ़ इंडिया अथवा इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से ही पंजीकृत है, तो पावर ऑफ़ अटर्नी की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्पों के रूप में दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा।
- परोक्षी के पक्ष में लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



BANK OF INDIA
Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, 400051
FORM 'B'

FORM OF PROXY
(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No _____

DPID / Client ID No _____

No of shares _____

I/We, _____
Resident of _____ in the district of _____
_____ in the State of _____ being a
shareholder/s of BANK OF INDIA, hereby appoint Shri/Smt. _____
resident of _____ in the
district of _____ in the State of _____
or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of
_____ in the district of _____
_____ in the State of _____ as my/our proxy
to vote for me/us and on my/our behalf at the EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to
be held on **Friday, the 21st October 2011, at 10.30 a.m.,** at the Bank's Auditorium, Bank of India, C 5, G Block, Bandra-Kurla
Complex, Mumbai, 400 051 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Signature of the Proxy _____

Signature of the first holder/sole holder _____

Name: _____

Address: _____

Revenue
Stamp

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND DEPOSITING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 - a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing ,
 - b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Bank of India.
3. The proxy together with
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of India, not later than FOUR DAYS before the date of the Extra ordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 1.30 p.m. of Saturday, the 15th October, 2011.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of India or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of BANK OF INDIA.

**निदेशकों का निर्वाचन-
संबंधित अधिनियमों, विनियमों आदि के उद्धरण**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार धारा 3 की उप धारा (2ख) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना), 1970 यथा संशोधित तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठके) विनियम, 2007 की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 का उद्धरण

धारा 5 (एनई) “पर्याप्त हित”

- (i) किसी कंपनी के संबंध में, अर्थात् किसी एक व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग पुत्र/पुत्री द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से कंपनी के शेयरों में, जिसके लिए अदा की गई राशि ₹ पाँच लाख या कंपनी की चुकता पूँजी के दस प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, द्वारा लाभकारी हित धारित करना।
- (ii) किसी फर्म के संबंध में, अर्थात् किसी एक व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग पुत्र/पुत्री द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से धारित लाभकारी हित, जो कथित फर्म के पार्टनरों द्वारा अभिदत्त कुल पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

धारा 20- ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के होने के बावजूद कोई भी बैंकिंग कंपनी
क) अपने शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं करेगी। अथवा
ख) निम्नलिखित को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही अग्रिम देने की वचनबद्धता करेगी :
 - i) अपने किसी निदेशक
 - ii) किसी भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीदाता के रूप में हित रखता हो, या
 - iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीदाता हो या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो, अथवा
 - iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक, साझेदार या गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो।
2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय व्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।
बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।
इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।
3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना वापस नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी वापसी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।
4. जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा में :

- क) “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिज़र्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।
- ख) “निदेशक” से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC

In terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the relevant clauses of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions Scheme), 1970, as amended, and the relevant regulations of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, respectively in this regard, are reproduced below for information of the shareholders.

EXTRACT OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Section 5 (ne) “Substantial Interest:-

- (i) In relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less
- (ii) In relation to a firm, means the beneficial interest held therein by the individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Section 20: Restriction on Loans and Advances:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), No banking company shall,-
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - i) any of its directors,
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Cl. (b) of sub- section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amount due to banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5:

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3. No Loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this Section -

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
- b) “Director” includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का उद्धरण

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई) केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के सम्बंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)(i) जहाँ धारा 3 की उप धारा (2 ख) के खंड (ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी निम्नानुसार हो तो?

- (i) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक:
- (ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो दो निदेशक।
- (iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसी किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक उक्त योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

धारा 9(3क) उक्त खंड (एच) के अंतर्गत नामित अथवा उप धारा (3क) के खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

(क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक के सम्बंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले हो :-

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- ii) बैंकिंग
- iii) सहकारिता
- iv) अर्थशास्त्र
- v) वित्त
- vi) विधि
- vii) लघु उद्योग
- viii) कोई अन्य मामले जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है।

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9(3कक): उप धारा 3(क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित विधि में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप धारा 3 के खण्ड (i) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार फिट व उचित स्थिति में होना चाहिए।

धारा 9 (3कख) : भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3(कक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में फिट और उचित स्थिति निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया और कोई अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 ख) : जहां रिज़र्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3 क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त बैंक के शेयरधारकों को अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का उद्धरण

धारा 4 नामित निदेशक की निवृत्ति का तरीका

अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) का खंड (एच) में संदर्भित निदेशक आवर्तन द्वारा इस प्रकार निवृत्त होंगे जब चयनित निदेशक कार्यभार ग्रहण करेंगे, वह निदेशक जो पिछली बार नामित किया गया था और जिसने दीर्घाविधि से कार्यभार संभाला हुआ था, वह पहले निवृत्त होगा। एक ही दिन निदेशक बने व्यक्तियों के मध्य, कौन निवृत्त होगा इस सूचना के अभाव में अथवा उनके मध्य किसी अनुबंध के न होने से, उसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

धारा 9. निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल :

9(4) निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए पदधारिता नहीं करेगा।

धारा 10. निदेशकत्व हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा:-

क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या प्रशमन किया हो, या

EXTRACT OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION & TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970.

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Composition of the Board of Directors.

Section 9(3)(i) where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (ii) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two directors;
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Section 9(3A) The Directors to be nominated under clause (h) or to be elected under clause (i) of sub- section (3) shall:

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

- i) agriculture and rural economy
- ii) banking
- iii) co-operation
- iv) economics
- v) finance
- vi) law
- vii) small-scale industry
- viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interests of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA) Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause(i) of sub-section(3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9 (3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfil the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA), as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2) Every director, member of a local board or a committee, or auditor, adviser, officer or other employee of a bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

EXTRACT OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 4: Manner of Retirement of Nominee Directors:

The directors referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act, shall retire by rotation, when the elected directors assume charge, in such manner that the directors who have been longest in office since last nomination, shall retire first and as between persons, who became directors on the same day, those who are to retire, shall, in default of or subject to any agreement among themselves, be decided by the Central Government.

Clause 9. Term of Office of elected directors

9 (4) An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification for directorship

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:-

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

- ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो; या
- ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो; या
- घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अन्तर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

धारा 11. निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अयोग्यताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है, तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

धारा 11क निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (1) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

धारा 11ख निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

धारा 11 ख (1) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीनों से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।

11 ख (2) उप खण्ड (1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन

खंड 12(8) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ड) या (च) के अधीन निदेशक है।

बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 का उद्धरण

अध्याय II

(शेयर एवं शेयर रजिस्टर)

10 सयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस की तामील करने और बैंक से संबंधित अन्य सभी मामलों में प्रथम नाम धारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

अध्याय IV

(शेयरधारकों की बैठकें)

61: सामान्य सभा में मतदान

- (i) किसी भी सामान्य सभा में कोई भी संकल्प जिसे सभा के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब तक मतदान की मांग न की गई हो उसका निर्णय हाथ उठा कर सहमति के आधार पर तय माना जायेगा।

- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or
- (c) if he has been convicted by a criminal court of an offense which involves moral turpitude.; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State bank of India Act, 1955. or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act. 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Clause 11: Vacation of office of directors

- (1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section of section 9 of the Act, may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government .
- (3) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A . Removal from office of an elected Director

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Clause 11B. Filling of vacancy in the office of an elected Director:

11B(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining directors.

11B(2) A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors

Clause 12(8) A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan , arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalised bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a Director referred to in clause (e) of clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

EXTRACT OF BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2007

CHAPTER II

(SHARES AND SHARE REGISTER)

10 Exercise of rights of joint holders :

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV

(MEETINGS OF SHAREHOLDERS)

61. Voting at general meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

- (ii) अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अलावा सामान्य सभा के प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जायेगा।
- (iii) जब तक कि उप विनियम (I) के अन्तर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया/नहीं किया गया या तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आशय की एक प्रविष्ट उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या/अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।
- (iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठा कर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा परिणाम घोषित करने पर सभा का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शेरधारक अथवा शेर धारकों द्वारा जो सभा में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेर धारिता है, जिनके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पाँचवें भाग से कम नहीं, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश प्राप्त करेगा।
- (v) मतदान की मांग को मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।
- (vi) स्थगन अथवा सभा के अध्यक्ष के चुनाव के मामले में यदि मतदान की मांग की गई है तो उसे तुरंत कराया जाएगा।
- (vii) स्थगन के मामले पर मतदान की मांग करने पर या उसे ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जो कि मांग किए जाने से 48 घंटे से अधिक नहीं है, जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देशित करें।
- (viii) किसी व्यक्ति के मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है, के मामले में सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय V (निदेशकों का चुनाव)

63: निदेशकों का चयन सामान्य सभा में होगा

- (i) अधिनियम की धारा 9 के उप धारा 3 के खण्ड (i) के अनुसार चुने जाने वाले किसी निदेशक का चयन केन्द्रीय सरकार के अलावा रजिस्टर दर्ज शेरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य सभा में उनके बीच में से किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी निदेशक का चयन सामान्य सभा में किया जाना है। इस आशय की सूचना सामान्य सभा बुलाने की सूचना में दी जाएगी। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रक्तियां जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

64: शेरधारकों की सूची

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चुनाव के लिए शेरधारकों की एक सूची रजिस्टर पर तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशकों का चुनाव किया जाएगा।
- (ii) इस सूची में शेर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा धारित शेरों की संख्या तथा उनके लिखित सुभिन्न क्रमांक और उनके शेरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे। आवेदन पर इस सूची की प्रतियां निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए गए मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

65: चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तभी विधिमान्य होगा, जब कि
 - (क) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेरों का शेरधारक हो।
 - (ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
 - (ग) उसके नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान कर दिया गया हो।
 - (घ) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेरधारकों के हस्ताक्षर नामांकन पर होने चाहिए अथवा इन शेरधारकों के विधिवत नियत अटर्नी के हस्ताक्षर होने चाहिए ऐसे किसी शेरधारक द्वारा नामांकन जो कोई कंपनी हो उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी के द्वारा किया गया नामांकन माना जाएगा।
 - (ड.) प्रत्याशीद्वारा, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एग्युरेन्सेस के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने की गई हस्ताक्षरित घोषणा नामांकन के साथ संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और उसे अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ सभी रूप में पूर्ण होकर बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम चौदह दिनों के पहले प्राप्त न हो जाए।

66: नामांकनों की संवीक्षा (जांच)

- (i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी कार्य दिन को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस पर उसके निरस्त करने का कारण दर्ज कर दिया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट रक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- (ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- (iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी रक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on a question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER V

(ELECTION OF DIRECTORS)

63. Directors to be elected at general meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless ,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67: चुनाव-विवाद

- (i) यदि कोई संदेह अथवा विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में उठता है जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में उठता है कोई ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी या शेयर धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में चुनाव की वैधता और विवाद अथवा संदेह के सभी आधारों का विवरण देना चाहिए।
- (ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक होंगे जिन्हें अधिनियम की धारा 9 के उप धारा 3 के उप खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव था तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगे अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधि मान्य नहीं था तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आदेश देंगे और जैसे समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे नया चुनाव कराने सहित निर्देश जारी करेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

अध्याय VI

(शेयरधारकों का मताधिकार)

68: मताधिकार का अभिनिर्धारण

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप सामान्य सभा की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयर धारक रजिस्टर में दर्ज किया गया है ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक जो कम्पनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो और जो कंपनी है उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो उसे हाथ उठा कर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां ऊपर उल्लिखित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा। स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए “कंपनी” से तात्पर्य “कारपोरेट निकाय” से है।
- (iii) बैंक के शेयर धारक सामान्य सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकेंगे, परंतु ऐसे किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69: विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा मतदान

- (i) कोई शेयर धारक, वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा कम्पनी एक संकल्प के द्वारा जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में “विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति” कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा कम्पनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।
- (ii) बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि न जमा कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग ले सकेगा और और न ही मतदान कर सकेगा।

70. परोक्षी

- (i) परोक्षी की कोई लिखत तभी वैध मानी जाएगी जब कि वह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके अथवा उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो या निगमित निकाय के मामले में यह इसके अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो। बशर्ते कि परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उसके अंगूठे का निशान लगा हो और यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्स या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- (ii) तब तक किसी परोक्षी फार्म को वैध नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह यथाविधि स्टाम्पयुक्त न हो। पावर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है या उस पावर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो बैठक के चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया और पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- (iii) परोक्षी की कोई लिखत तभी वैध मानी जाएगी जब कि वह फार्म ‘बी’ में हो।
- (iv) बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- (v) विकल्पों के रूप में दो अनुदान ग्राहियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा।
- (vi) इस विनियम के अधीन परोक्षी के पक्ष में लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (vii) किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

67. Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

(VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights-

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).
Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

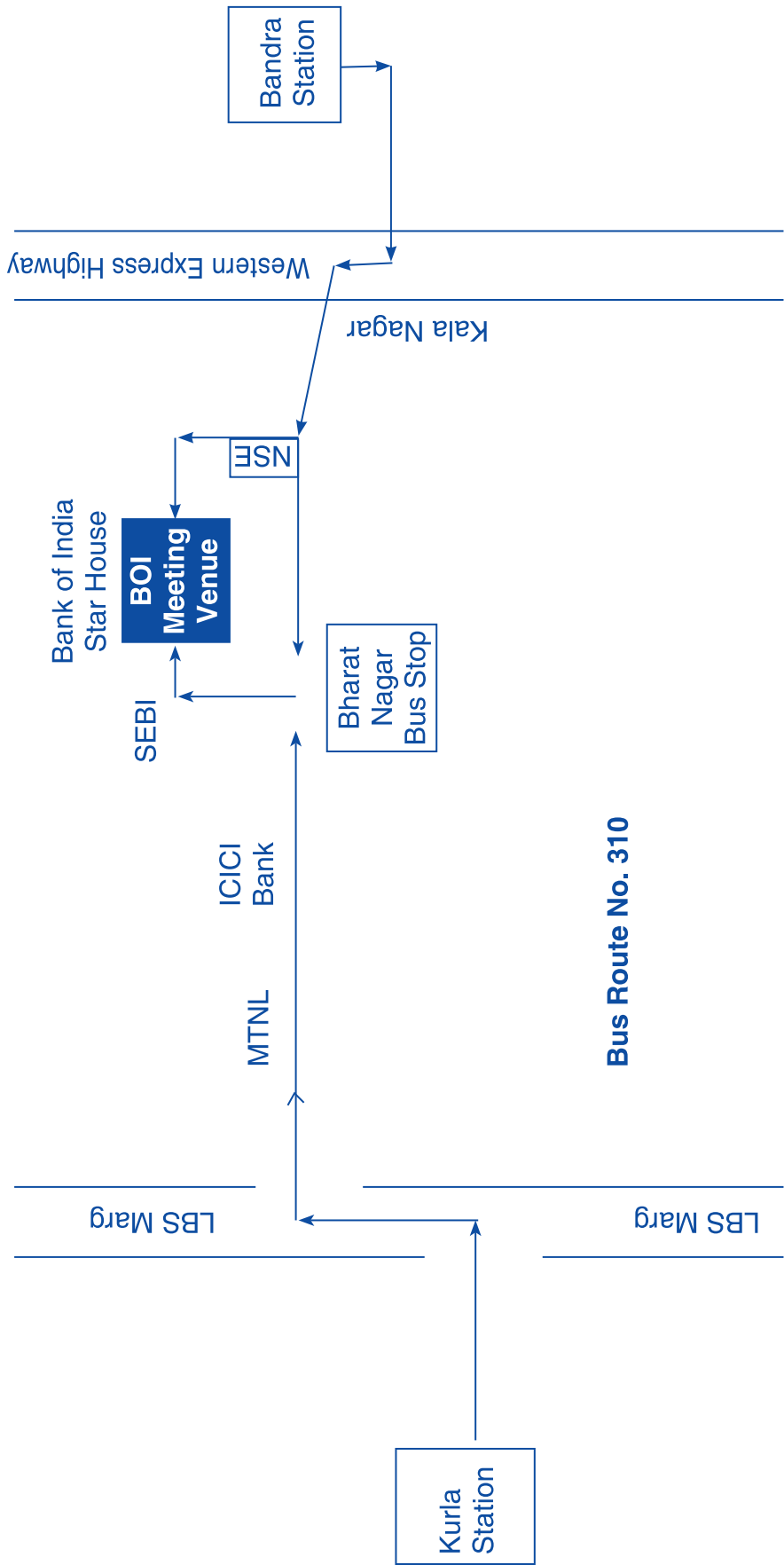
69. Voting by duly authorised representative-

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

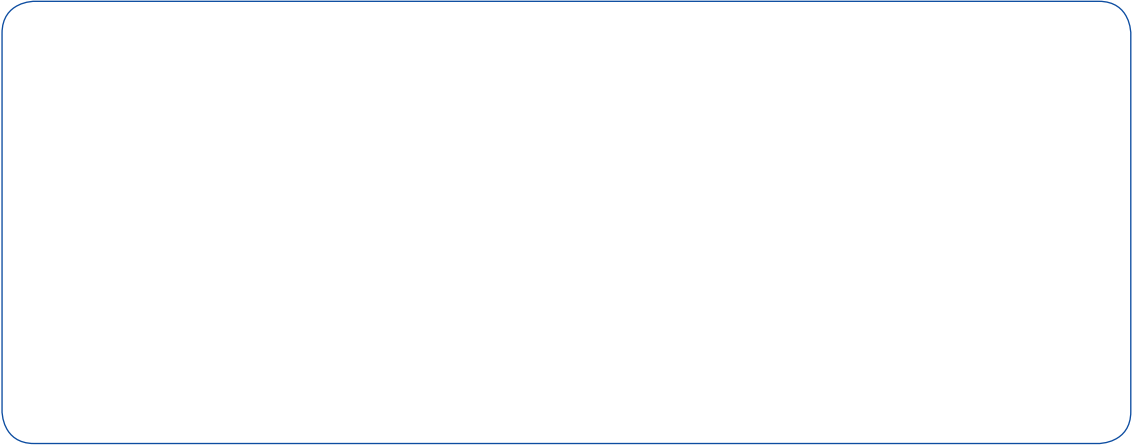
- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurances or other Government gazetted officer or an officer of the Bank.
- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or proxy who is an officer or an employee of the bank.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE





बुक पोस्ट
Book-Post



सुपुर्दगी न होने पर इन्हे लौटाएं :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.
यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया
13 ए बी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स
ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 072.

If undelivered, please return to :

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
13 AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road,
Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai - 400 072.